

24.5.22

पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। श्री

वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन

किया कि यह वाद पत्र नोटब्लेस के आधार

पर कार्रज किया जावे। वकील वादी के

निवेदन पर यह वाद पत्र नोटब्लेस के आधार

पर इसी तरह पर कार्रज किया जाता

है। पत्रावली कैलक्युलेशन होकर दायित्व

हतर हो।

  
(कृष्णलाल)  
उपखण्ड अधिकारी  
घडसाना

1887press  
कृष्ण